## Office of the First Appellate Authority (Appointed under the Right to Information Act, 2005) New & Renewable Energy Department & HAREDA, Haryana, Panchkula Sector-17, Panchkula

No. NRE & HAREDA/RTI-FAA/ 3(21-23

Dated: 26-2-24

In the matter of:

Sh. Lakhan Singh Kushwaha, R/o # D-194, Dabua Colony, NIT Faridabad- 121001, Mob: 8447175359

**Appellant** 

Vs.

Project Officer-cum-Assistant State Public Information Officer, O/o Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Project Officer, New & Renewable Energy Department, Faridabad

Respondent

Date of order: 20.02.2024

### **ORDER**

1. The Appellant filed his first appeal on 11.12.2023 under Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005 and received by the office of First Appellate Authority (FAA) on 28.12.2023 in connection with his application dated 29.05.2023 to provide information from Project Officer-cum-Assistant State Public Information Officer, Office of Additional Deputy Commissioner-cum -Chief Project Officer, Faridabad.

2. The Appellant has informed that no information has been provided.

3. First Appellate Authority (FAA) directed the ASPIO, Faridabad to provide the point wise desired information to the Appellant under intimation to this office by 12.01.2024 and personally appear on 23.01.2024 at 12:00 Noon with the information provided, if information is not provided or not satisfied with the information provided.

4. The ASPIO, Faridabad has submitted its reply to this office vide letter No. 914 dated 10.01.2024 under intimation to appellant and informed that point wise reply have already been provided and the same is again attached (Copy

attached).

5. The Appellant did not appear on the said schedule and his letter dated 18.01.2024 received by this office on 31.01.2024 requesting that information

- has not been provided within stipulated time period and order may be passed on merit.
- 6. Further one more opportunity have been provided to Appellant to appear before this office on 20.02.2024 at 12:00 Noon. But Appellant did not appear and sent an email requesting that order may be passed on merit. ASPIO, Faridabad has again submitted the same reply to this office under intimation to the appellant and requesting that said RTI may be filed.

7. This office has carefully considered the application, the response, the appeal, and the records made available and finds that the matter can be decided based

on the material available on record.

8. This office concurs with the submissions of the Respondent.

#### Order:-

In view of the above, the appeal stands disposed off and ordered accordingly. Copy of this order be sent to the appellant and ASPIO.

If the appellant is not satisfied with this order/information provided, he/she may file an appeal before State Information Commission Haryana, SCO-70-71 (1st Floor), Sector-8, Chandigarh.

(Sombir Singh)

Chief Scientific Engineer, HAREDA First Appellate Authority, New & Renewable Energy & HAREDA, Haryana, Panchkula

#### CC:-

 Sh. Lakhan Singh Kushwaha, R/o # D-194, Dabua Colony, NIT Faridabad-121001, Mob: 8447175359

2. Project Officer-cum-Assistant State Public Information Officer, Office of Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Project Officer, Faridabad

3. Programmer, DNRE/HAREDA to upload on HAREDA website.

# कार्यालय सहायक जन सुचना अधिकारी-कम-परियोजना अधिकारी, फरीदाबाद

श्री लाखन सिंह कुशवाहा, मकान न0 194, डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद (हरियाणा) .....

अपीलार्थी

बनाम

<u> ∢सहायक जन सुचना अधिकारी-कम-मुख्य परियोजना अधिकारी, फरीदाबाद .</u> -

प्रत्यार्थी

अपील अंतर्गत सूचना का अधिकार कानून 2005 के नियम 19(1)

क्रमांक

914

दिनांक

10-01-2024

आपके न्यायलय के नोटिस पत्र क्रमांक DNRE/RTI-FAA-2024-11220 दिनांक 03-01-2024 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषय पर आपको अनुरोध सिहत अवगत कराया जाता है कि आवेदक श्री लाखन सिंह कुशवाहा, मकान न0 194, डबुआ कॉलोनी, फरीदाबाद (हरियाणा) का आर०टी०आई० आवेदन दिनांक 29.05.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक 09.06.2023 को प्राप्त हुआ था। प्रार्थी के आवेदन का जवाब इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 831 दिनांक 28.06.2023 के द्वारा प्रार्थी को प्रेषित कर दिया गया था।

अतः माननीय न्यायलय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के मध्यनज़र आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना का अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित समयाविध में प्रदान कर दी गई थी। अतः प्रथम अपीलेट अथॉरिटी एवं मुख्य वैज्ञानिक अभियंता, पंचकूला से प्रार्थना है कि इस नोटिस को अधोहस्ताक्षरी की तरफ से दफ्तर-दाखिल करने का कष्ट करे।

संलग्न - उक्त

सहायक जन सुचना अधिकारी
-कम-परियोजना अधिकारी
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग
फरीदाबाद

क्रमांक 915 दिनांक 10-01-2024

इसकी एक प्रति प्रार्थी श्री लाखन सिंह कुशवाहा, मकान न0 194, डबुआ कॉलोनी,

फरीदाबाद (हरियाणा) को सूचनार्थ प्रेषित है।

सहायक जन सुचना अधिकारी
-कम-परियोजना अधिकारी
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग
फरीदाबाद



# Office of Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Project Officer,





(4th Floor, Mini Secretariat) Email: fbd.nre-hry@gov.in

प्रेषित

श्री लाखनसिंह कुशवाहा मकान न० 194, डबुआ कॉलोनी, NIT, फरीदाबाद (हरियाणा)

क्रमांक 841

/ दिनांक 28-06-23

विषय: - जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आवेदन स्थानांतरण करने बारे

प्रार्थी द्वारा मांगी गई बिंदुवार सूचना निम्न प्रकार से है -

- 1. जैसा कि आपको अवगत करवाया गया है कि सौर ऊर्जा पैनल घरो में लगवाने के लिए Grid Connected Rooftop Solar Power Plants Scheme DISCOMS (DHBVN & UHBVN) विभाग को स्थानांतरित कर दी गई है। HAREDA द्वारा 20.06.2019 को पोर्टल बंद कर दिया गया था।
- 2. यह विंदु इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा विशेष नागरिको को सौर ऊर्जा की किसी भी स्कीम के लिए कोई विशेष छूट का प्रावधान नहीं है
- 4. यह विंदु इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है।
- 5. यह बिंदु इस कार्यालय से सम्बंधित नहीं है।

यह आपकी सेवा में सूचनार्थ प्रस्तुत है।

जन सूचना अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग फरीदाबाद। पृ0 क्रमांक 832

उपरोक्त की एक प्रति अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य योजना तथा विकास अधिकारी फरीदाबाद को सूचनार्थ प्रेषित है  $\bigcap$ 

जन सूचना अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी किट्टिनवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग फरीदाबाद

Lecever Jaisiff 8/23

प्रेषक

अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य योजना तथा विकास अधिकारी, फ़रीदाबाद।

सेवा में

जन सुचना अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग, फरीदाबाद ।

यदि क्रमांक मु॰यो॰वि॰अ॰(फ)-2023/777 दिनांक: 02/06/2023

विषय: जन सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरण करने बारे ।

प्रार्थी श्री लाखनसिंह कुशवाहा पुत्र ,ठाकुर प्रसाद मकान न॰ 194, डबुआ कालोनी, NIT, फरीदाबाद का आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 61/05/2023 को प्राप्त हुआ । इस आवेदन को जन सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए लिखा जाता है कि प्रार्थी दुवारा मांगी गई सुचना आपके विभाग से सम्बंधित है । अपेक्षित सुचना तैयार करके निश्चित समयाविध में आवेदक को प्रदान करते हुए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को सूचित करें

जन सुचना अधिकारी एवं योजना अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, फ़रीदाबाद

प्र॰ क्रमांक :

दिनांक:

उपरोक्त की एक प्रति श्री लाखनसिंह कुशवाहा पुत्र ,ठाकुर प्रसाद मकान न॰ 194, डबुआ कालोनी, NIT, फरीदाबाद को सुचनार्ध प्रेषित है ।

> जन सुचना अधिकारी एवं योजना अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त उपायुक्त, फ़रीदाबाद ।

क्रिएए , RATA et 2005 के गहर आव दन पता: गहाद्य, स्माथी लाखन सिंह छ्यावाडामा न डी-194 डबुआ माला NIT या रे दावाद निवारी देता वार है । गामिर के हैं। ए।थी मे दिनीं 27/3/2023 का एड यार्थना पार अतिरिद्ध उपायुन् मार्थित है नाम गिवत किया जिसमें सी 23 जा प्नाल लाग्वावान में मदद करना तथा रक्षा वतान का हुट उर अनुराह्म किया था। १५२१ यह यह सिये जाय कारी वाही की 2) थोर उन्नी अपलक्य गिर्मा जाए। 2) थोर उन्नी पेनल लगाना ने बाद वर्तमान समिष्ठ VN की ब्लंड ला केन्यसन् यर्वना अनिवाय होगा या नहीं गृह खरापाजा । 3) सीर 3 जा पेनल बरिट नागिर के लगवाता है तो विशेष 32 मिलनी है था नहीं है यह जरानि का जह कर । में से 3 जो पेनल मेनल लाजावान के बिवाद DHBVN केन कर्यान सिम्युरिटी मनी वापिय डोगी अवा नहीं ज्लाया जाए 5) 7 A HIOT STADY DHBUN -11-1 8-15/ -4/5/043/14/ 3 3-थाशी नार्षिया होगीया नहीं यह विस् मताने का मुट के उत्त अनाम उभाराम्य मिलाने देशना अविलान या पत्र के साथ स्वांक है। 419101 401 1821 27/3/2023 -41211 भारतम सिंह केश्राताह) 3712/R 813 C17(84)47041 10 - 8906 31/20/17/2 12. D.J. 6:3-3 2.114 54311 300 111 140110129-5-2023 いいとうなれたいい M 8347/755

PO/APO (HEAR

The Chief Scientific Engineer-cum-First Appellate Authority, New & Renewable Energy Department/HAREDA, Haryana Akshay Urja Bhawan, Institutional Plot No. 1, Sector-17, Panchkula

A 69-01-24

16883

Supd1.

1

The Assistant State Public Information Officer-cum-Additional Deputy Commissioner-cum-Chief Project Officer, New & Renewable Energy Department, Faridabad

Memo No. DNRE/RTI-FAA/2024/11220

Dated: 3-1-24

Subject:- First Appeal under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005-Regarding RTI application of Sh. Lakhan Singh Kushwaha.

Kindly refer to the RTI appeal of Sh. Lakhan Singh Kushwaha dated 11.12.2023 (copy attached) and dispatched to this office on 28.12.2023.

The applicant had sought information under the RTI Act, 2005 dated 29.05.2023 from you being ASPIO, ADC-cum-CPO, DNRE, Faridabad. Now, he has filed an appeal before the First Appellate Authority under the RTI Act, 2005 and claimed that the desired information has not been provided.

You are therefore directed to provide the desired information (Point wise) to the applicant under intimation to undersigned by 16.01.2024 and you may personally appear before the undersigned on 23.01.2024 at 12:00 Noon along with the information provided by you and all relevant documents.

(Sombir Singh)
Chief Scientific Engineer--cum-First Appellate Authority,
New & Renewable Energy Department/HAREDA,
Haryana, Panchkula

CC:- A copy is forwarded to Sh. Lakhan Singh Kushwaha, R/o # D-194, Dabua Colony, NIT Faridabad- 121001, Mob: 8447175359 to appear before above signed on 23.01.2024 at 12:00 Noon alongwith all relevant documents it information is not provided or you are not satisfied with the information provided.